

पत्रांक...132/1
कार्यालय अग्निशमन सेवा मुख्यालय, झारखण्ड, राँची।

188
122

प्रेषक,

प्रभारी अपर राज्य अग्निशमन पदाधिकारी,
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

नगर निवेशक,
राँची नगर निगम,
राँची।

राँची, दिनांक-11-04-14

प्रसंग :-
बिषय :-

आपका पत्रांक-8982, दिनांक-12.02.14
श्रीमती राजकुमारी देवी सरावगी, लेक रोड, कांके रोड, थाना-गोंदा, राँची द्वारा
ग्राम-कोनका, एम0एस0प्लॉट नं0-371, 372, 376, 377, 379, 380 एवं 382, थाना
नं0-198, थाना-लोअर बाजार, राँची के प्रस्तावित व्यवसायिक-सह-आवासीय भवन निर्माण
हेतु अग्नि सुरक्षा संबंधी सलाह के संबंध में।

महाशय,

प्रसंगिक पत्र के साथ संलग्न किये गये प्लान के अनुसार निर्मित होनेवाले प्रस्तावित भवन के
लिये अग्नि सुरक्षा के संबंध में निम्नलिखित सुझाव दिये जाते हैं :-

1. प्लान में दर्शाये गये संकेत चिन्हों के अनुरूप अग्नि सुरक्षा की व्यवस्था की जाय।
2. बेसमेंट से जल निकासी की समुचित व्यवस्था रखी जाय।
3. बेसमेंट में Transformer, Boiler, Pressurized Cylinder, Generator, A.C न रखे जायें।
4. भवन में बेसमेंट वाले भाग में समुचित Ventilation की व्यवस्था रखी जाय ताकि प्रति घंटा कम से कम 12 से 15 एयर चेंज होता रह सके एवं आपात स्थिति में इसे 30 एयर चेंज तक बढ़ाया जा सके।
5. बेसमेंट के लिये अलग से सीढ़ी एवं लिफ्ट की व्यवस्था रखी जाय अथवा सतही तल पर ऐसी व्यवस्था रखी जाय कि सीढ़ी/लिफ्ट से आने पर सतही तल पर रुकने के बाद ही बेसमेंट के लिये प्रस्थान कर सकें।
6. भवन के पॉचये तल पर स्टेयरकेस लॉबी को Refuse area के रूप में निर्मित किये जायें।
7. स्वीमिंग पूल के चारो ओर निम्नलिखित जीवन रक्षक उपकरण आरक्षित अवस्था में रखे जायें :-
(ग) Life buoy - 02-02 अदद
(ख) Life Jacket - 02-02 अदद
8. भवन के सभी बालकोनी को पूर्णतः खुला रखने की व्यवस्था की जाय।
9. सुरक्षा संबंधी शेष अनुदेश जो इस कार्यालय के पत्रांक-924, दिनांक-22.05.13 के द्वारा निर्गत किये गये हैं उसे लागू रखे जायें।
10. भवन को उपयोग में लाये जाने के पूर्व भवन में संस्थापित किये गये अग्नि सुरक्षा व्यवस्था का विस्तृत प्लान (Hard & Soft Copy में) इस कार्यालय को उपलब्ध कराते हुए जाँच प्रतिवेदन अवश्य प्राप्त कर लेंगे।
11. अग्नि सुरक्षा की दृष्टिकोण से दिये गये सुझावों के अनुपालन की जाँच इस विभाग से कराने के बाद ही अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जायेंगे।
12. राष्ट्रीय भवन संहिता भाग IV के नियम 6.1 एवं 6.5 में वर्णित सुरक्षा व्यवस्थाओं का दृढ़ता से पालन किया जाय।
13. प्लान की प्रतियाँ सुझाव के साथ हस्ताक्षर कर वापस किये जा रहे हैं।

अनुलग्नक :- यथोक्त।

विश्वासभाजन

प्रभारी अपर राज्य अग्निशमन पदाधिकारी,
झारखण्ड, राँची।

old
28

पत्रांक 924/

कार्यालय अग्निशमन सेवा मुख्यालय, झारखण्ड, राँची।

प्रेषक,

सहायक प्रमण्डलीय अग्निशमन पदाधिकारी,
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

कार्यपालक पदाधिकारी,
राँची नगर निगम, राँची।

राँची, दिनांक 22/05/13

प्रसंग:- आपका पत्रांक-5088 दिनांक-01.04.2013

विषय:- श्रीमती राजकुमारी देवी सरावगी, लेक रोड, कांके रोड, गोंदा, राँची के द्वारा मौजा-कोनका, एम0एरा0प्लॉट नं0-371, 372, 376, 377, 379, 380, 382, थाना नं0-198, थाना-लोवर बाजार, राँची के प्रस्तावित भवन निर्माण में अग्नि सुरक्षा संबंधी सलाह के संबंध में।

महाशय,

प्रासंगिक पत्र के साथ संलग्न किये गये प्लान के अनुसार निर्मित होने वाले भवन में अग्नि सुरक्षा के सम्बन्ध में निम्नलिखित सुझाव दिये जाते हैं।

1. प्लान में दर्शाये गये संकेत चिन्हों के अनुरूप अग्नि सुरक्षा की व्यवस्था की जाय।
2. प्रस्तावित भवनो के सामने वाले भाग में 1,00,000 ली0 क्षमता का एक अन्डरग्राउण्ड स्टैटिक वाटर टैंक का निर्माण कराया जाय।
3. प्रस्तावित भवनो के प्रत्येक ब्लॉक के ऊपर 20,000 ली0 क्षमता एक-एक अदद ओभर हेड वाटर टैंक का निर्माण कराया जाय।
4. 2850 ली0/मि0 का एक शक्तिशाली पम्प लगाये जाने की व्यवस्था की जाय, जो पूरे सिस्टम में उल्लापूर्ति कर सके।
5. प्रस्तावित भवन के प्रत्येक ब्लॉक के उपर 900 ली0/मि0 का एक-एक अदद टेरेस पम्प लगाने की व्यवस्था की जाय।
6. समान क्षमता का वैकल्पिक पावर चालित पम्पिंग व्यवस्था रखी जाय।
7. भवन के प्रत्येक ब्लॉक में फायर लिफ्ट लगाये जाने की व्यवस्था की जाय, जिसकी क्षमता 540 के0जी0 से कम न हो।
8. सीढीयो को Enclosed staircase के रूप में निर्मित किये जायें।
9. प्रस्तावित भवनो की Wiring व्यवस्था किसी Licenced Electrician से ही कराया जाय एवं जगह-जगह MCB का प्रयोग किया जाय।
10. N.B.C के नियम के अनुसार भवन के सामने वाले भाग में चौड़ी ठोस एवं खुली जगह हमेशा उपलब्ध रखी जाय।
11. भवन में प्रति 400 वर्ग फीट के लिये एक की दर से एक-एक अदद DCP Extinguisher 10 kg. रखे जाने की व्यवस्था की जाय।
12. किसी भी सेटबैक एरिया को किसी भी परिस्थिति में बाधित न किया जाय।
13. भवन में तड़ित बालक लगाने की व्यवस्था की जाय।
14. भवन में निवास करने के पूर्व भवन में संस्थापित किये गये अग्नि सुरक्षा व्यवस्था का विस्तृत प्लान (Hard & Soft Copy में) इस कार्यालय को उपलब्ध कराते हुए जाँच प्रतिवेदन अवश्य प्राप्त कर लेंगे।
15. अग्नि सुरक्षा की दृष्टिकोण से दिये गये सुझावो के अनुपालन की जाँच इस विभाग से कराने के बाद ही अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जायेंगे।

₹

(शेष अगले पृ0 पर)

Receiving no - 6267

old (H)

20

16. प्रस्तावित व्यवसायिक-सह-आवासीय भवन के लिये राष्ट्रीय भवन राहिता भाग IV के नियम 6.5 एवं 6.1 में वर्णित सुरक्षा व्यवस्थाओं का दृढता से पालन किया जाय।
17. प्लॉन की प्रतियों सुझाव के साथ हस्ताक्षर कर वापस किये जा रहे हैं।
महानिदेशक महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

अनुलग्नक:-यथोपरि।

विश्वासभाजन

20.12.2013

सहायक प्रमण्डलीय अग्निशमन पदाधिकारी,
झारखण्ड, राँची।

(H)